भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3952

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

दामोदर घाटी निगम

3952. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दामोदर घाटी निगत (डीवीसी) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से पूर्व परामर्श किए बिना/सूचना दिये बिना ही अपने जलाशयों से पानी छोड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार इस दावे को स्वीकार करती है कि उक्त राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी की अवहेलना करते हुए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय एकपक्षीय रूप से लिए जाते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं कि दामोदर घाटी निगम के जलाशयों से पानी छोड़े जाने का प्रबंधन सहयोगात्मक और पारदर्शी ढंग से तथा पर्याप्त सूचना के साथ किया जाएगा ताकि विगत में दक्षिण बंगाल में पचास लाख लोगों को प्रभावति करने वाली बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाया जा सके?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): दामोदर घाटी जलाशय विनियमन समिति (डीवीआरआरसी) द्वारा दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) को बांधों से छोड़े जाने जल के बारे में परामर्श दिया जाता है, इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

i. सदस्य (नदी प्रबंधन), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और डीवीआरआरसी के अध्यक्ष;

ii. मुख्य अभियंता (सिविल), डीवीसी, मैथन सदस्य के रूप में;

iii. मुख्य अभियंता, सिंचाई और जलमार्ग निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार (जीओडबल्यूबी) सदस्य के रूप में;

iv. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार (जीओजे) सदस्य के रूप में;

v. अधीक्षण अभियंता, हाइड्रोलाजिकल प्रेक्षण सर्कल, सीडब्ल्यूसी, मैथन सदस्य सचिव के रूप में

डीवीआरआरसी द्वारा दामोदर घाटी निगम, बांधों से जल छोड़ने के संबंध में निर्णय, हमेशा सीडब्ल्यूसी, डीवीसी, पश्चिम बंगाल सरकार और झारखंड सरकार के सभी सदस्यों के परामर्श से लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीवीआरआरसी मैनुअल के अनुसार, अनुप्रवाह राज्यों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करने की समय-सीमा के संबंध में सख्त निर्देश हैं। डीवीआरआरसी की बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, ऐसी रिलीज के संबंध में पूर्व सूचना डीवीसी द्वारा रियल-टाइम के आधार पर डीवीसी के पोर्टल में 'ई-मेल', 'व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज', 'बाढ़ चेतावनी मॉड्यूल' के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार को समय पर प्रदान की जाती है। बाढ़ के पानी को छोड़े जाने के बारे में समय पर दी गई सूचना और इस आशय की चेतावनी सभी पणधारियों और जनता को प्रदान की जाती है ताकि ऐसे बाढ़ के पानी के छोडे जाने से प्रभावित होने वाले अनुप्रवाह क्षेत्रों में स्थित जान-माल को विनाश और हानि से बचा जा सके। इसके बारे में डीवीआरआरसी मैनुअल में मानक संचालन प्रक्रियाएं दी गई हैं और सख्त अनुपालन के लिए यह सभी पक्षों को एक तैयार संदर्भ मुहैया कराती हैं। इसके अलावा, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार, डीवीसी के पास मैथन और पंचेत बांधों के लिए एक आपातकालीन कार्य योजना भी है।

*****